2

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक उत्पादन और बजटीय परिणाम

2.1 पिछले दो वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत बजट प्रावधानों तथा व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रू. में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	सं.अ. के संबंध में व्यय का प्रतिशत
2013-14	450.00	550.00	522.70	95.03
2014-15	550.00	550.00	427.53 (दिसम्बर, 2014 तक)	85.51

तालिका सं. 2.1

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, 550 करोड़ रूपए की बजटीय राशि में से 522.70 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग हो गया था, जो 2012-13 के व्यय (390.76 करोड़ रूपए) से 33.76**%** की वृद्धि को अभिव्यक्त कर रहा है। शेष व्यय न की गई 27.31 करोड़ रूपए की राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनिवार्य प्रावधान (27.19 करोड़ रूपए) और कोयला नियंत्रक संगठन (0.12 करोड़ रूपए) के वेतन की वजह से थे। चालू वित्त वर्ष (2014-15) का योजनागत आबंटन 550 करोड़ रूपए है। इस राशि में से 427.53 करोड़ रू. दिसम्बर, 2014 तक उपयोग में लाए गए हैं जो कुल योजनागत आबंटन का 85.51**%** होता है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए योजनागत आबंटन 551.00 करोड़ रू. है।

2.2 55.00 करोड़ रूपए का गैर-योजनागत बजट (2015-16) मुख्यत: सचिवालय (आर्थिक सेवाओं), कोयला नियंत्रक के संगठन, कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अधीन अपेक्षित सांविधिक रूप से सरकारी अंशदानों के भुगतान तथा कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए स्थापित किए गए नए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए अपेक्षित निधियों के लिए हैं।

2.3 कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक योजना (2015-16) घटक 12585.50 करोड़ रूपए है, जिसका आंतरिक तथा अतिरिक्त बजट संसाधनों से प्रावधान किया जाना है। पीएसयू-वार बजट आबंटन और व्यय का व्यापक ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रू. में)

पीएसयू के नाम	2013-14			2014-15			2015-16
	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय (दिस. 14 तक)	ब.अ.
सीआईएल	5000.00	5000.00	4329.86	5225.00	5225.00	2815.58	5990.50
एनएलसी	2490.14	2490.14	1817.32	2936.00	2520.00	1152.88	4205.00
एससीसीएल	4000.00	2900.00	2591.05	3850.00	3760.00	1867.74	2390.00
कुल	11490.14	10390.14	8738.23	12011.00	11505.00	5836.20	12585.50

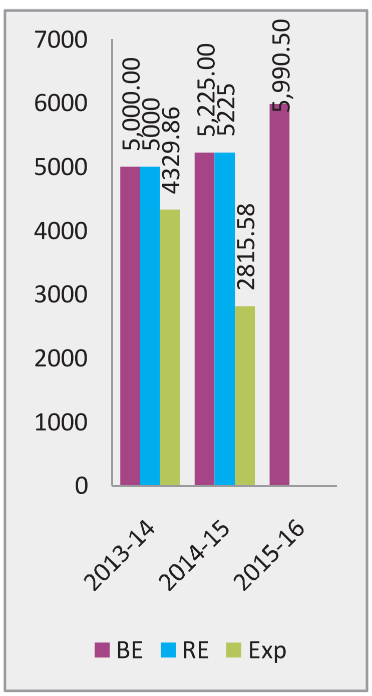

सीआईएल

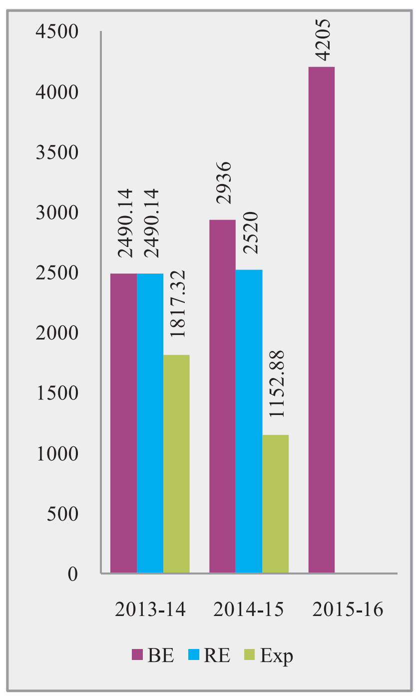

एनएलसी

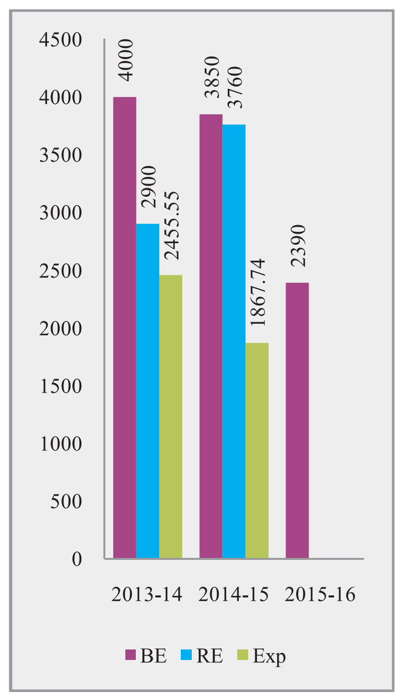

एससीसीएल

2.4 चालू वित्त वर्ष (2015-16) के स्कीम-वार योजनागत तथा गैर-योजनागत आबंटन एवं पीएसयू के आईईबीआर प्रावधान नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रू. में)

क्रम सं	स्कीम / कार्यक्रम का नाम	योजना	गैर योजना	आईईबीआर
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	1.25	19.10	0.00
2.	सीएमपीएफओ के प्रशासनिक प्रभारों की आंशिक प्रतिपूर्ति सहित कोयला खान पेंशन योजना, 1998 (सीएमपीएस 98)	0.00	22.35	0.00
3.	कोयला नियंत्रक संगठन	1.00	8.55	0.00
4.	नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	0.00	5.00	0.00
5.	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	170.00 #	0.00	0.00
6.	कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास	75.00	0.00	0.00
7.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	18.00	0.00	0.00
8.	कोयला तथा लिग्नाइट का क्षेत्रीय अन्वेषण	103.50 #	0.00	0.00
9.	पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण	0.45	0.00	0.00
10	गैर-सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण	151.20 #	0.00	0.00
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	30.60	0.00	0.00
12	कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान	0.00	1100.00	0.00
13	सार्वजनिक उद्यम में निवेश	0.00	0.00	12585.50 [सीआईएल=5990.50 एससीसीएल =2390.00 एनएलसी=4205.00]
	कुल	551.00	55.00	12585.50

(#टीएसपी घटक सहित)

तालिका सं. 2.3

2.5 योजनागत तथा गैर-योजनागत आबंटनों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के आईईबीआर प्रावधान तथा किए गए आबंटन के प्रति अनुमानित परिणामों के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दर्शाए गए हैं।

कोयला मंत्रालय

विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के लिए परिणामी बजट (2015-16)

(करोड़ रू. में)

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2015-16)			मात्रात्मक आपूर्ति योग्य /वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर			
1.	**सचिवालय आर्थिक सेवाएं**	सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता के लिए योजनागत प्रावधान। गैर-योजनागत प्रावधान वेतन तथा भत्तों की अदायगी, कार्यालय खर्चों , चिकित्सा, यात्रा एवं प्रकाशन संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए है।	1.25	19.10	0.00	ई-शासन और आनलाइन कार्य-वातावरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। इसके अलावा, कोयला ब्लॉकों और कोयला लिंकेज से सम्बाद्ध समेकित डाटाबेस का विकास करने के लिए एक अत्याधुनिक परियोजना शुरू की है। गैर-योजनागत प्रावधानों के लिए, वास्तविक परिणामों की मात्रा (अनिवार्य रूप से प्रशासनिक स्वरूप के नेमी कार्य की वजह से) को निर्धारित नहीं किया जा सकता है*	मंत्रालय की आईटी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने से अधिक आनलाइन कार्य का वातावरण सृजित करने में सहायता मिलेगी।	➢ जुलाई, 2015 तक कोयला ब्लॉकों तथा कोयला लिंकेज के लिए एकीकृत डाटाबेस का सृजन। ➢ जुलाई, 2015 तक ई-ऑफिस का ई-फाईल मोड्यूल। ➢ मई, 2015 तक आकास्मिक बिलों की कार्रवाई। ➢ जून, 2015 तक विक्रेता बिलों की कार्रवाई। ➢ मई, 2015 तक डिजीटाईजे. तथा दस्तावेज प्रबंध प्रणाली। ➢ जुलाई, 2015 तक भूमि अधिग्रहण आवेदनों की ऑनलाईन प्रणाली। ➢ जुलाई, 2015 तक एलएएन का उन्नायन।

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2015-16)			मात्रात्मक आपूर्ति योग्य /वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर			
2.	कोयला खान पेंशन योजना-1998 (सीएमपीएस-98)	सांविधिक अंशदान क) सीएमपी योजना के अंतर्गत सरकारी योगदान हेतु 14.60 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है ख) 7.75 करोड़ रू. का प्रावघान सीएमपीएफओ के प्रशासनिक प्रभारों की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु है।	0.00	22.35	0.00	सीएमपीएस-1998 के अधीन सांविधिक देयताओं को पूरा करने के लिए।	कोयला क्षेत्र के 4.5 लाख कर्मचारियो को सामाजिक सुरक्षा लाभ*	सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद लाभ देय हैं।
3.	कोयला नियंत्रक का संगठन	विभिन्न सांविधिक कार्यों को निपटाने हेतु योजनागत प्रावधान है गैर-योजनागत प्रावधान विभिन्न सांविधिक कार्यों को निपटाने के लिए स्थापना लागत की पूर्ति हेतु हैं।	1.00	8.55	0.00	यह व्यय प्रशासनिक प्रकृति का है तथा इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।	➢ कोलियरी की तरफ से कोयला उत्पादन शुल्क का संग्रहण। 2014-15 (दिस.14 तक) वास्तविक संग्रहण 437.25 करोड़ रू. है। वित्त वर्ष 2015-16 का अनुमानित संग्रहण 580.00 करोड़ रु. है। ➢ कोयला वाशरियों की मानीटरिंग। ➢ निम्न लिखित के प्रकाशन के लिए डाटा संग्रहण तथा विशलेषण, कोल डायरेक्टरी आफ इंडिया 2013-14 तथा अनंतिम कोयला सांख्यिकी 2013-14 और विभिन्न अभिकरणों को मासिक प्रगति रिपोर्टों का प्रेषण।	लगातार चलने वाला कार्य

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2015-16)			मात्रात्मक आपूर्ति योग्य /वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर			
							➢ कोयला संरक्षण तथा विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) के अधीन आंशिक सहायता हेतु विभिन्न कोयला कंपनियों के विभिन्नल दावों एवं प्रस्तावों की जांच। ➢ 2014-15 (दिस.14 तक) में विभिन्न कोयला कंपनियों से 9 खानों को खोलने की अनुमति की मंजूरी तथा 2015-16 में यह संख्या 20 हो जाने की उम्मीद है। ➢ नियमित नमूना जांच तथा संबंधित कोयला कंपनियों द्वारा घोषित किए गए अनुसार कोयले ग्रेडों, खान/ सीएमवार अनुमोदन। ➢ सीबी (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोयला भूमि के अधिग्रहण हेतु नोटिस के विरूद्ध भू-स्वामियों से प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई। 2014-15 में 12 रिपोर्ट भेजी गई हैं और 2015-16 में यह संख्या 20 हो जाने का अनुमान है। ➢ पूर्व-कोलियरी स्वामियों के बीच मुआवजे का भुगतान - 2014-15 में (दिस.14 तक) मुआवजे के रूप में 39.29 लाख रु. की राशि वितरित की गई है और 2015-16 50.00 लाख रु. वितरित होने का अनुमान है।	

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2015-16)			मात्रात्मक आपूर्ति योग्य /वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर			
4.	कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा	कोयला कंपनियों को निम्नलिखित के लिए आंशिक सहायता प्रदान करना i) रेत भरायी ii) सुरक्षात्मक कार्य iii) आर एंड डी कार्य vi) वैज्ञानिक विकास कार्य एसडीडब्ल्यू)	170.00 (जनजातीय उप-योजना सहित)	0.00	0.00	इससे रेत भराई के साथ डीपिल्लरिंग प्रचालन के माध्यम से कोयले के उत्खनन में सहायता मिलेगी, इस प्रकार बहुमूल्य कोयला भंडारों का संरक्षण हो रहा है।	खानों की रेत भराई से 55 लाख टन का उत्पादन, 67 लाख घन मीटर रेत की रेत भराई की जाएगी। इसके अतिरिक्तन 2015-16 में 23 संरक्षण एवं 11 वैज्ञानिक विकास कार्य कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।	अधिकाशंत: सतत परियोजनाएं, किए गए कार्य के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर सहायता।
5.	कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास	सड़क, रेल और अवसंरचनात्मक विकास के लिए कोयला कंपनियों को आंशिक सहायता प्रदान करना।	75.00	0.00	0.00	सड़क तथा रेल संरचना के सृजन से कोलियरियों से कोयला उत्खनन में सहायता मिलेगी।	2015-16 में सड़क परियोजनाएं 20 रेल परियोजनाएं की वित्त 5 तथा की जानी है।वस्थाव्य	अधिकाशंत: सतत परियोजनाएं, प्रतिपूर्ति आधार पर सहायता
6.	अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम	प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु उसका सफल अंतरण	18.00	0.00	0.00	i) चल रही 12 परियोजनाओं के कुल योग में से 2 परियोजनाएं पूर्ण हुई।	कोयला से द्रव (सीटीएल) परिवर्तन प्रौद्योगिकी के पाईलेट स्केल अध्ययनों के जरिए स्वपदेशी उत्प्रेरक का विकास। ओपनकास्ट खानों में वायु वाली धूल की माडलिंग	अनुसंधान परियोजनाएं आमतौर पर 2 से 4 वर्षों की अवधि की होती हैं। अलग-अलग अनुसंधान परियोजनाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2015-16)			मात्रात्मक आपूर्ति योग्य /वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
7.	कोयला तथा लिग्नाइट का क्षेत्रीय अन्वेषण	राष्ट्रीय संपत्ति सूची में शामिल करने हेतु कोयला तथा लिग्नाइट के अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय ड्रिलिंग करना। वेब समर्थित एकीकृत कोयला तथा लिग्नाइट संसाधन सूचना प्रणाली (आईसीआर आईएस/ आईएलआरआईएस) तैयार करना और सीबीएम संसाधनों का मूल्यांकन करना।	103.50 (जनजातीय उप योजना सहित)	0.00	0.00	1) ड्रिलिंग- 1.75 लाख मीटर	11.75 लाख मीटर की ड्रिलिंग तथा जीआर की तैयारी।	कुल ड्रिलिंग वर्ष भर वितरित की गयी है। ड्रिलिंग के पूरा होने और ब्लॉक की मात्रा का निर्धारण करने के पश्चात जीआर तैयार की जानी हैं।	लक्ष्य की प्राप्ति वन क्षेत्रों में अन्वेषण की समय पर अनुमति तथा अनुकूल कानून व्यवस्था पर निर्भर होती है। माडेल्ड डाटा को जोड़ने, नए हार्डवेयर और साफ्टवेयर स्थापित करने तथा प्रशिक्षण करने के अतिरिक्त डाटा का नियमित अद्यतन।
						ii)आईसीआरआईएस, सीएमपीडीआई: 42 जोनों की भू-वैज्ञानिक माडलिंग। जोन स्तर की योजना 41 जोनों के लिए उपलब्ध होगी।	42 जोनों का डाटा आईसीआरआईएस डाटाबेस पर उपलब्ध होगा।	मार्च, 2016 तक जोनों की 42 भूवैज्ञानिक - माडल	सतत अद्यतन और मौजूद डाटा अद्यतन के लिए आरडीबीएमएस के डिजाइन की आवश्यकता।
						iii) आईसीआरआईएस, एससीसीएल: 12 जोनों की भू-वैज्ञानिक माडलिंग।जोन स्तर की योजना 12 जोनों के लिए उपलब्ध होगी।	12 जोनों का डाटा आईसीआरआईएस डाटाबेस पर उपलब्ध होगा।.	मार्च, 2016 तक जोनों का 12 भूवैज्ञानिक - माडल	लिग्नाराइट डाटाबेस के सृजन, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) हेतु निविदा प्रक्रिया का निष्पादन।

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2015-16)			मात्रात्मक आपूर्ति योग्य /वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
						iv) आईएलआरआईएस: एकीकृत लिग्नाइट संसाधन सूचना प्रणाली के सृजन हेतु सभी अन्वेषित ब्लॉकों के डाटा का कम्प्यूटरीकरण।	आईएलआरआईएस डाटाबेस पर एकीकृत आकड़ा उपलब्ध होगा	एमईसीएल और जीएसआई के संबंध में लिग्नाइट अन्वेषण का साफ्टकॉपी कन्वर्सन और डाटा माइग्रेशन	
						v) 8 बोरहोलों में सीबीएम अध्ययन तथा बोरहोलों में शेल गैस 5 यनअध्य	सीबीएम के लिए बोरहोलों से नमूनों का संग्रहण और शेल गैस अध्ययन	8 बोरहोलों में मुख्यं नमूनों का संग्रहण कोयला मंत्रालय तथा सीजीपीबी में आवधिक समीक्षाओं के दौरान प्रगति की मानीटरिंग	सीएमपीडीआई तथा जीएसआई, सीबीएम अध्ययनों एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्रमश: 8 एवं 5 बोरहोलों से नमूने एकत्र करेंगे। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई शेल गैस अध्य यनों के लिए 5 बोर होलों से भी नमूने एकत्र करेगी।

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2015-16)			मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
8	**पर्यावरण उपाय और धंसाव नियंत्रण**	आग तथा धंसाव से निपटने तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. एवं भारत कोकिंग कोल लि. के पट्टाधारी क्षेत्रों में खतरे वाले लोगों का पुनर्स्थापन	0.45	0.00	0.00	मास्टर प्लान के अंतर्गत चरण 1 में 41 कोलियरियों में फैले 67 आग के स्थानों से निपटने के लिए बीसीसीएल के लिए आग से संबंधित 28 स्कीमों का प्रस्ताव किया गया है।	1) झरिया कोलफील्ड में खान की आग और धंसाव का नियंत्रण। 2) खतरे वाले लोगों का पुनर्वास।	(1मास्टर प्लान)चरण (1 प्रस्तावित आग से संबंधित 28योजनाओं में से 4 स्कीमें पूरी कर ली गई हैं तथा शेष निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। .2I (रानीगंज कोलफील्ड) आरसीएफ (में, सभी 141 स्थलों का जनांकिकी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और 44598 परिवारों की पहचान की गई है। ईसीएल ने आसनसोल दुर्गापुरविकास प्राधिकरण) एडीडीए (की 270.38 एकड़ भूमि निहित की है जो लगभग20 , 000घरों को समायोजित करेगी। 2.2) झरिया कोलफील्ड में :- i) 595 आग प्रभावित धंसाव वाले स्थ्लों में से 532 स्थ्लों का जनांकिकी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है जिसमें 74354 परिवारों की पहचान की गई है। ii) प्रभावित बीसीसीएल व्याक्तियों के पुनर्स्थापन हेतु निर्मित किए जाने वाले प्रस्तातवित 25000 घरों में से 1496 घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा उसमें वे रहने लगे हैं। 4080 क्वार्टर्स निर्माणाधीन हैं। 4020 क्वातटरों के लिए कार्य आदेश अवार्ड कर दिया गया है और 2240 क्वार्टरों के लिए निविदाएं दी गई हैं।	सरकार ने ईसीएल तथा बीसीसीएल के पट्टाधारी क्षेत्र में रानीगंज कोलफील्ड्स के लिए 2661.11 करोड़ रू. तथा झरिया कोलफील्ड्स के लिए 7112.11 करोड़ रू. के अनुमानित निवेश से मास्टर प्लान को अनुमोदित किया है। मास्टर प्लान को अनुमोदन की तारीख अर्थात अगस्त, 2009 से 10 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित करने की समयसीमा है तथा बीसीसीएल के मामले में पूर्व कार्यान्वयन क्रियाकलापों के

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2015-16)			मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
							3) आग/ धंसाव द्वारा प्रभावित सतही अवसंरचना का डायवर्जन।	iii) गैर-बीसीसीएल के खतरे वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 54159 क्वार्टरों में से 2352 क्वार्टरों का निर्माण हो गया है, 2000 एकक निर्माणाधीन हैं तथा 2000 एकक के लिए निविदाएं दे दी गई हैं। (3.1आरसीएफ में अंडाल – सिंथियाकोर्ड लाईन के परिवर्तन के लिए भू तकनीकी सर्वेक्षण तथा स्थिरता विश्लेषण कर लिया गया है। अंडाल-सितारामपुर के परिवर्तन के लिए मार्ग को अंनतिम रूप देने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट एवं डीपीआर के लिए कार्य आदेश मैसर्स राइट्स को अवार्ड किया गया है। (3.2झरिया कोलफील्ड में आग से प्रभावित क्षेत्रों से रेलवे लाइन को शिफ्ट करने के लिए राइट्स ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और कोयला मंत्रालय ने इन मामलों की जांच करने के लिए रेलवे को एक समिति गठित करने हेतु लिखा है।	लिए अतिरिक्त दो वर्षों का समय है।
9.	**गैर-सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण**	क्षेत्रीय अन्वेषण के दौरान पता लगाए गए निर्दिष्ट/ अनुमानित संसाधनों को प्रमाणित करने हेतु डाटा सृजित करने के लिए	151.20 (जनजातीय उप-योजना सहित)	0.00	0.00	गैर-सीआईएल ब्लाकों में 4.82 लाख मीटर की ड्रिलिंग।	i) 4.82 लाख मीटर की ड्रिलिंग ii) जीआर तैयार करना।	वर्ष में 4.82 लाख मीटर ड्रिलिंग को वितरित किया गया। ब्लाक में ड्रिलिंग तथा कोटिपरक विश्लेषण के पूर्ण हो जाने के बाद जीआर तैयार की जाएगी।	i) लक्ष्यों की उपलब्धि अधिकाशत:वन क्षेत्रों के अन्वेषण की अनुमति पर निर्भर होगी। ii) आउटसोर्सिंग के माध्यम से

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2015-16)			मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
		विस्तृत ड्रिलिंग करना और भू-गर्भीय रिपोर्टों को तैयार करने में उसका उपयोग करना।							वास्तविक ड्रिलिंग अनुकूल कानून तथा व्यवस्था और निविदा को अंतिम रूप देने (उपयुक्त पार्टियों) पर निर्भर करती है।
10	**पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान**	मंत्रालय का 10% बजट का खर्चा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुनिश्चित करने हेतु।	30.60	0.00	0.00	मात्रा निर्धारित करने योग्य नहीं।	ड्रिलिंग	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कोयला अन्वेषण	
11.	**कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु मुआवजे का भुगतान**	भू-वंचितों को मुआवजे का भुगतान	0.00	1100.00	0.00	कोयलाधारी क्षेत्रों (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अधिग्रहित भूमि से कोयले का निष्कर्षण किया जाता है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।	यह एक सांविधिक आवश्यकता है।	2015-16	सीआईएल द्वारा सरकार के पास अग्रिम रूप से राशि जमा करने के बाद भुगतान किया जाता है।

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2015-16)			मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
12	**सार्वजनिक उद्यम में निवेश**	कोयला पीएसयूज द्वारा कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन वृद्धि करना तथा उसे कायम रखना।	0.00	0.00	आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आईईबी आर)- सीआईएल- 5990.50 करोड़ रू. एससीसी एल- 2390.00 करोड़ रू. एनएलसी- 4205 करोड़ रू. कुल - 12585.50 करोड़ रू.	परियोजनाओं का कार्यान्वयन।	चल रही परियोजनाओं को पूरा करना तथा उत्पादन में वृद्धि करना। सीआईएल-550 मि.ट. एससीसीएल-94 मि.ट. एनएलसी- 25.67 मि.ट. का वृद्धिक उत्पादन होने का अनुमान है।	स्वीकृत परियोजना रिपोर्टों (पीआर) के अनुसार कार्यान्वयन तिमाही कार्य-निष्पादन समीक्षाओं (क्यूपीआर) तथा विभिन्न स्तरों पर समवर्ती मानीटरिंग के दौरान वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों की निगरानी।	औद्योगिक संबंध, कानून और व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण,पुनर्वास, वानिकी और पर्यावरणीय मंजूरी, निकासी की त्रुटियां, आकस्मिक भूगर्भीय अशांतियां, खान दुर्घटनाएं और आपदाएं।

- **सीईबीआर (पूरक बाह्य बजटीय संसाधन)**